न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 144 / 2021

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 01.अब्दुल नासीर पुत्र श्री अब्दुल अजीज, जाति मुसलमान, निवासी हनुमानजी की भाखरी, नई सड़क, जोधपुर | | 01. ओमसिंह पुत्र श्री खंगारसिंह<br>02. जेठूसिंह पुत्र श्री खंगारसिंह<br>03. भंवरकंवर पुत्री श्री खंगारसिंह<br>04. रतनकंवर पत्नि श्री खंगारसिंह<br>जातियान राजपुत, निवासीगण ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।<br>05. रीता/रीटा व्यास पत्नि श्री राजकुमार व्यास, जाति ब्राहम्ण, निवासी ए–345, शास्त्री नगर, जोधपुर<br>06. यामिनी पत्नि श्री सुमेरचन्द, जाति माथुर, निवासी सरदारपुरा चौथी सी रोड़, भगवती धाम, जोधपुर ।<br>07. कुणाल जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश मोहनोत, जाति ओसवाल, निवासी 28, बख्तावरमलजी का बाग, सरदारपुरा, जोधपुर ।<br>08. जमीला बानो पत्नि श्री हाजी इन्साफ अली, जाति मुसलमान, निवासी 161, सेक्टर डी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर ।<br>09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी |

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम ।</u>

**अधिवक्तागणः —**

4. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।
5. अप्रार्थीगण संख्या एक से आठ बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।
6. अप्रार्थी संख्या नौ की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

**निर्णय** दिनांक :— 19/12/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में मूल खसरा संख्या 164 मूल कुल रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं जिसे आगे इस प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जावेंगा । मूल खसरा संख्या 164 कुल मूल रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा के एक खातेदार खंगारसिंह पुत्र श्री खेतसिंहजी जो कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पिता एवं चार के पति थे उनके द्वारा उक्त मूल खसरा संख्या 164 की कुल रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि में से कुल पांच बेचाननामे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या पांच से आठ के हक में अलग अलग एक ही दिनांक 13.12.2011 को निष्पादित किये गये थे जो कि प्रार्थी के हक में रकबा 03 बीघा एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या पांच के हक में रकबा 01 बीघा एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या छः के हक में रकबा 01 बीघा एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या सात के हक में रकबा 02 बीघा एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या आठ के हक में रकबा 01 बीघा यानि कुल रकबा 08 बीघा के हस्तान्तरण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या पांच से आठ के हक में निष्पादित किये गये थे । उक्त पांचों बेचाननामों के पेज संख्या पांच के दूसरें पैरा में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था किः— <u>यह हैं कि उक्त कृषि भूमि रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा में से कटाणी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग जिस पर जमीन का क्षेत्रफल के हिसाब से कटाणी रास्ते पर आने वाली जमीन का उपयोग व उपभोग किया जायेगा । जिसका बंटवाड़ा सभी खातेदारों द्वारा अपने भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया जायेगा ।</u> उक्त पांचों बेचाननामों में किसी भी प्रकार से बेचान किये गये रकबे के पड़ौस अंकित नहीं किये गये । उक्त पांचों बेचाननामें विशेष भू भाग दर्शाकर बेचान नहीं किये जाने के बावजूद भी बिना आपसी सहमती के बंटवाड़ें के भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक से आठ के अलग अलग बटटा नं0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिये

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

गये तथा सभी खातेदारों के हिस्से की भूमि में आने जाने के रास्ते की भूमि भी नहीं छोड़ी गयी तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से ही राजस्व लटठे नक्शें में अलग अलग बटटा नं0 दर्शाते हुए खसरा संख्या 164 एवं 164/1 से 164/5 दर्ज करते हुए बिना किसी आधार के तरमीम दर्ज कर दी गयी जिसमें खसरा संख्या 164 अप्रार्थीगण संख्या एक से चार के नाम से रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या पांच के नाम से खसरा संख्या 164/1 रकबा 01 बीघा दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या छः के नाम से भी खसरा संख्या 164/2 रकबा 01 बीघा दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या सात के नाम से भी खसरा संख्या 164/3 रकबा 02 बीघा दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या आठ के नाम से भी खसरा संख्या 164/4 रकबा 01 बीघा दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार से प्राथी के नाम से भी खसरा संख्या 164/5 रकबा 03 बीघा दर्ज कर दिया गया एवं बिना आधार के ही उपरोक्त बटटा नं0 की राजस्व लटठे नक्शें में तरमीम दर्ज कर दी गयी । खंगारसिंह द्वारा जो उक्त पांचों बेचाननामें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या पांच से आठ के हक में निष्पादित किये गये थे उक्त पांचों बेचाननामों में किसी भी प्रकार के कोई पड़ौस अंकित नहीं किये गये थे बल्कि उक्त पांचों बेचाननामों के पेज संख्या पांच के पैरा संख्या दो में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि:—<u>यह हैं कि उक्त कृषि भूमि रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा में से कटाणी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग जिस पर जमीन का क्षेत्रफल के हिसाब से कटाणी रास्ते पर आने वाली जमीन का उपयोग व उपभोग किया जायेगा । जिसका बंटवाड़ा सभी खातेदारों द्वारा अपने भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया जायेगा ।</u> इसके बावजूद भी बिना बंटवाड़ा किये तथा सभी खातेदारों के रकबे के अनुपात में रास्ते की भूमि नहीं छोड़ते हुए राजस्व नक्शें में बिना आधारों के ही तरमीम तथा राजस्व रेकर्ड में अलग अलग बटटा नं0 दर्शा दिये गये । राजस्व रेकर्ड में जो मूल खसरा संख्या 164 एवं इसके जो बटटा नं0 बिना बंटवाड़ा के ही दर्शाये गये हैं तथा राजस्व नक्शें भी तरमीम बिना किसी बंटवाड़ें के की गयी हैं जिससे खातेदारों के मध्य अनावश्यक ही विवाद उत्पन्न हो गया हैं इस कारण से वह निरस्त किये जाने योग्य हैं । अंत में निवेदन किया कि— अतः निवेदन हैं कि ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी के खसरा संख्या 164 व 164/1 से 164/5 के समस्त बटटा नं0 विलुप्त किये जाकर मूल खसरा संख्या 164 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा में सभी खातेदारों के केवल मात्र रकबे के इन्द्राज किये जावें राजस्व लटठे नक्शें में दर्ज उक्त खसरा संख्या 164 व 164/1 से 164/5 की तरमीम दर्ज हैं उसे निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावें । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या एक से आठ बावजूद सूचना तामिल के न तो जवाब पेश किया एवं न ही उपस्थित हुए । पत्रावली में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो कि कार्यालय तहसीलदार झॅवर द्वारा जरिये कमांक/भू.अ./2022/140 दिनांक 16.06.2022 के जरिये प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के संलग्न बेचाननामें जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या पांच से आठ के पक्ष में खंगारसिंह जो कि अप्रार्थीगण संख्या एक से चार के पिता/पति थे उनके द्वारा निष्पादित किये गये थे उनके द्वारा उक्त पांचों बेचाननामें एक ही दिनांक 13.12.2011 को निष्पादित किये गये थे। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 के अनुसार इन बेचाननामो के आधार पर दायर नामान्तरकरण सख्या 487 की पुश्त पर नजरी नक्शा मे अकित नही है। तरमीम लटटा नक्शा मे की गई है तथा इसी अनुरूप DILRMP तहत ऑनलाईन नक्शे मे भी तरमीम की गई। इसमे किसी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

प्रकार की कोई त्रुटि/गलती प्रतीत नही होती है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।

Scanned by CamScanner